(97)

समक्ष -सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र.
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

R 1001 - II/17

प्र.क्र. /निगरानी/2016-17

1-झनकसिंह आत्मज मुंशीलाल जाटव वयस्क
निवासी ग्राम झरखेडा (बोरदहा जोड़)
तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र. -------------निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1-लक्ष्मण बजाज पुत्र आशरदास बजाज वयस्क
सचिव गिरधरदास देवाश्रम परमहंसजी संत आश्रम
विट्ठल नगर भोपाल, कृषक ग्राम झरखेडा
तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र.।

2-फूलसिंह पुत्र मुंशीलाल जाटव वयस्क

3- गुलाबसिंह पुत्र मुंशीलाल जाटव वयस्क
क्र. 2 व 3 निवासीग्राम झरखेडा (बोरदहा जोड़)
तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र. -------------रेस्पान्डेन्टस

(65)

अभिभावक श्री एस.के. पुरोहित
द्वारा आज दिनांक 23.1.2017
को पेश।
अधीक्षक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959
विरूद्ध आदेश दिनांक 2/2/2017 प्र.क्र. 13/अ-27/2005-06
झनकसिंह विरूद्ध लक्ष्मण बजाज, पारित द्वारा नायब तहसीलदार
टप्पा बोरदहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र. ।
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

श्रीमानजी,

निगरानीकर्ता/ आवेदक अधि.न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट व दुखी होकर निम्नांकित तथ्यो एवं विधि आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

-: प्रकरण के तथ्य :-

1- यहकि आवेदक के बटवारा आवेदनपत्र पर विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर पक्ष बयान प्रस्तुत होने पर आपत्तियां अधिनस्थ न्यायालय ने आमंत्रित की । आवेदक एंव अनावेदक लक्ष्मण बजाज की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई जिनका निराकरण अधि.न्यायालय ने दिनांक 2/2/2017

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1001–दो/16 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–04–17	आवेदकगण के अधिवक्ता श्री एस0 के0 गुरौदिया द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 13/अ–27/2005–66 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 2.2.2017 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष निरनानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय व्यवहार न्यायालय के निर्णय व जयपत्र दिनांक 21.12.2016 पर दृष्टिपात किये बगैर मनमाने ढंग से रजिस्टर्ड विकय पत्र प्र0डी0–2 के आधार पर फर्द बटान बुलाये जाने का आदेश पारित किया जो निरस्त किया जावे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया गया है कि दिनांक 13.2.17 को प्रस्तुत आवेदन पत्र का विधि विरूद्व निराकरण किया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने कां अनुरोध किया गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में	

संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता झनकसिंह द्वारा प्रस्तावित फर्द बटान पर यह आपत्ति उठाई गई कि पस्तावित फर्द बटान में संशोधित प्रविष्टि के कॉलम में खसरा न0 46 रकवा 3.30 एकड में से कय की गई भूमि 0.267 है0 के स्थान पर रकवा 0.162 है0 भूमि दी जानी प्रस्तावित की है जो कि विधि विरूद्व होकर दोषयुक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया है साथ ही खसरा न0 51/1 रकवा 3.075 है0 में से अनावेदक द्वारा 0.615 है0 भूमि कय किया जाना बताया जबकि प्रस्तावित फर्द बटान में अनावेदक लक्ष्मण बजाज को 0.061 है0 भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हे जो कि कय की गई भूमि से काफी कम है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विकय पत्र में उल्लेखित कय शुदा भूमि विपरीत माना है। अतः नायब तहसीलदार टप्पा दोराहा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर का आदेश दिनांक 2.2.17 निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में माननीय व्यवहार न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुये एवं उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देते हुये प्रकरण में सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करें।

सदस्य